दैनिक भास्कर

बिलासपुर भास्कर 15-06-2025

# हादसे में छात्र की मौत, हाईकोर्ट ने बढ़ाया मुआवजा, परिजन को मिलेंगे 23.78 लाख

**बिलासपुर|** छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सड़क हादसे में इंजीनियरिंग के छात्र की मौत के मामले में मुआवजे को बढ़ाकर 23 लाख 78 हजार रुपए करने का आदेश दिया है। जस्टिस प्रार्थ प्रतीम साहू की सिंगल बेंच ने कहा कि दावेदारों को न्यायोचित एवं उचित मुआवजा दिया जाना आवश्यक है, भले ही दावा याचिका में उससे कम राशि मांगी गई हो। बिलासपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में तीसरे सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे शुभम मिश्रा की वर्ष 2014 में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसे रायपुर के पास बाइक से आते समय तेज रफ्तार ट्रांजिट मिक्सचर वाहन ने टक्कर मार दी थी। हादसे में शुभम की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके माता- पिता ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर में कुल 11 लाख रुपए के मुआवजे की मांग करते हुए आवेदन दिया था। अधिकरण ने अपने निर्णय में भविष्य में शुभम की मासिक आय 7500 मानते हुए कुल 10.01 लाख रुपए मुआवजा तय किया था। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर उसके परिजनों ने हाईकोर्ट में अपील की। उसकी ओर से तर्क दिया गया कि मृतक इंजीनियरिंग का मेधावी छात्र था और उसकी संभावित आय को ध्यान में रखते हुए अधिक मुआवजा मिलना चाहिए।